न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 35/अपील/2025 (GCMS No. 2025/76)	23.06.2025	23.09.2025

राजमल गुर्जर आ0 दुर्गालाल जाति गुर्जर,
उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत चतरगंज,
तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, बून्दी

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, बून्दी
निर्णय दिनांक 24.12.2024 प्रकरण संख्या 08/2023

उपस्थितः–
1. अपीलांट की ओर से श्री शिफा उल हक एडवोकेट।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार (रसद)।

:: निर्णय ::

अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2024 से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 इस न्यायालय में संस्थित की है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसे बहाल करवाये जाने का निवेदन किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार अपील हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 35/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025/76 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। जिला रसद अधिकारी बून्दी के पत्र दिनांक 02.07.2025 से मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि अपीलांट को उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत चतरगंज का लाईसेंस प्राधिकार पत्र संख्या 1167/2018 पोस मशीन कोड 31176 जारी किया हुआ है। रेस्पोडेंट द्वारा जारी खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ का वितरण नियमानुसार एवं निर्देशानुसार अपीलांट करता चला आ रहा है। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डोली द्वारा दिनांक 08.10.2023 को दुकान का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पॉस मशीन की चोरी होना और ऑनलाईन रिकार्ड के अनुसार डीलर की दुकान पर भौतिक सत्यापन किये जाने पर 1801 किलोग्राम गेहूँ तथा 1 आर्यल पैकेट कम मिलना अंकित किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा डीलर के निलम्बन काल के लिए अस्थायी नियुक्त एफपीएस पृथ्वीराज गुर्जर की ओर से पेश की गई निरीक्षण रिपोर्ट में विसंगति 1801 कि.ग्रा. से बढकर 2551 कि.ग्रा. अंकित की गई, जिसका विभागीय दरों के अनुसार मूल्य 67,797/– रूपये है। इस बाबत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलांट द्वारा दिनांक 13.12.2024 को लिखित जवाब पेश किया जाकर पोस मशीन चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने तथा दिनांक 01.01.2024 तक रिकवरी जमा कराने बाबत अंकित किया गया। परन्तु अपीलांट की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वह उक्त तिथि तक रिकवरी जमा नहीं करा पाया था। इसलिए दिनांक 29.02.24 को अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर रिकवरी जमा कराने के लिए और समय दिये जाने का निवेदन किया गया। किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा अपने पत्र क्रमांक रसद/प्राधि./2024/ 3152 दिनांक 24.12.2024 के माध्यम से अपीलांट को दोषी मानकर उसका प्राधिकार पत्र 1167/2018 निरस्त कर दिया गया तथा प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया गया है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के बाद सन् 2018 से ही निरन्तर उचित मूल्य सामग्री का नियमानुसार ईमानदारी से वितरण करता चला आ रहा है। अपीलांट का रिकार्ड हमेशा सही रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में कभी भी किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई और न ही विभाग द्वारा कभी दोषी ठहराया गया है। अपीलांट एक गरीब परिवार का व्यक्ति है जिसका आय का कोई स्त्रोत नहीं होने से उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने से अपीलांट बेरोजगार हो गया तथा परिवार सहित भूखे मरने की नौबत आ गई है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा राशन सामग्री नहीं देने एवं अनियमिताएं करने के संबंध में कोई शिकायत नहीं करने के बावजूद प्राधिकार पत्र को गलत रूप से निरस्त किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के जवाब को अनदेखा गया, जो कानून के सिद्धान्तों को विपरीत होने के कारण रद्द किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपीलांट के पिता दुर्गालाल गुर्जर काफी लम्बे समय से कैंसर रोग से ग्रसित थे जिनकी ओर अधिक तबीयत खराब हो जाने के कारण अपीलांट उनके ईलाज हेतु जिले से बाहर लाने ले–जाने में व्यस्त रहा, तदोपरान्त दुर्भाग्यवश अपीलांट के पिता दुर्गालाल जी का दिनांक 07.05.2025 को निधन हो गया, तत्पश्चात अपीलांट उनके कियाकर्मों व पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया। इस कारण अपीलांट निर्धारित समय अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर पाया। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने के लिए अपीलांट द्वारा अपील के साथ पृथक से धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 24.12.2024 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र सं. 1167/2018 को बहाल किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार (रसद) ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डोली द्वारा दिनांक 08.10.2023 को उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत चतरगंज–III तहसील हिण्डोली का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उक्त उचित मूल्य दुकानदार श्री राजमल गुर्जर आ. दुर्गालाल गुर्जर द्वारा उसकी पोस मशीन चोरी हो जाना बताया गया। कार्यालय रिकार्ड के अनुसार उक्त उचित मूल्य दुकान पॉस कोड 31176 पर स्टॉक 3501 कि.ग्रा. गेहूँ है किन्तु भौतिक रूप से 1700 कि.ग्रा. गेहू एवं 1 ऑयल पेकेट उपलब्ध पाया गया, इस प्रकार 1801 कि.ग्रा. गेहूं एवं 1 ऑयल पेकेट की मात्रा कम पाई गई। प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डोली की रिपोर्ट के आधार पर अनियमितताओं के कारण विभागीय प्रकरण संख्या 08/2023 दर्ज कर उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस दिया जाकर जवाब तलब किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अपने जवाब में चोरी हुई पोस मशीन की पुलिस थाना हिण्डोली में प्राथमिकी दर्ज करवा दिये जाने तथा उचित मूल्य दुकान में कम पाये गये 1800 कि.ग्रा.गेहू के स्टॉक को पूरा करने के लिए उसको 1 माह का समय दिये जाने का निवेदन किया गया। किन्तु अपीलांट द्वारा अस्थाई उचित मूल्य दुकानदार को पोस मशीन सुपुर्द नहीं किये जाने तथा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा चाहा गया समय दिये जाने के बावजूद भी रिकवरी जमा नहीं करवाये जाने के कारण जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 24.12.2024 पारित कर उक्त उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र सं. 1167/2018 को निरस्त किया गया तथा जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि 1000/– समपहृत की गई, जो उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ है कि श्री राजमल गुर्जर आ. दुर्गालाल गुर्जर को उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत चतरगंज–III के लिए प्राधिकार पत्र संख्या 1167/2018 जारी किया हुआ था। प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डोली द्वारा प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत चतरगंज–III का दिनांक 08.10.2023 को निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्ततु रिपोर्ट में उल्लेखित पॉस मशीन (पॉस कोड 31176) की चोरी होना और ऑनलाइन रिकार्ड के अनुसार डीलर की दुकान पर भौतिक सत्यापन किये जाने पर 1801 किलोग्राम गेहूं तथा 1 ऑयल पेकेट कम मिलना अंकित किया गया। गंभीर अनियमितताओं के आरोप के कारण विभागीय प्रकरण सं. 8/2023 दर्ज किया गया। कार्यालय आदेश दिनांक 08.10.2023 से उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 1167/2018 को निलम्बित किया जाकर अस्थाई वैकल्पिक वितरण व्यवस्था के तहत पृथ्वीराज गुर्जर ग्राम पंचायत चतरगंज पोस कोड 2975 को नियुक्त किया गया। साथ ही उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 13.12.2024 को जिला रसद कार्यालय, बून्दी में उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अपने जवाब में डीलर द्वारा अंकित किया गया कि पोस मशीन चारी हो गई है जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी गई है। अप्रार्थी पर 1800 कि.ग्रा. की रिकवरी शेष है जिसे आगामी माह जनवरी,2024 तक जमा करवाने का निवेदन किया गया। अस्थायी नियुक्त एफपीएस पृथ्वीराज गुर्जर द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 18.09.2024 पेश करते हुये डीलर ने मुताबिक रिकार्ड 2551 कि.ग्रा.गेहू हस्तान्तरण नहीं किया जाना अंकित किया है। इस प्रकार गेहू की विसंगति 1801 कि.ग्रा. से बढकर 2551 कि.ग्रा. हो गयी। निर्धारित समय में रिकवरी जमा नहीं कराये जाने पर डीलर को पुनः नोटिस जारी किया गया, जिसका दिनांक 29.02.204 को जवाब पेश किया जाकर डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकान पर 18 क्विंटल का स्टॉक कम पाया गया था जिसे आगामी 01 माह के भीतर नई फसल आते ही पूर्ण कर दूंगा, अंकित किया गया। इस प्रकार अपने जवाबों में डीलर द्वारा उक्त स्टॉक का 1800 कि.ग्रा. गेहू लापता होने की स्वीकारोक्ति दर्ज करवाई गई किन्तु पर्याप्त समय दिये जाने पर उपरान्त भी अपीलांट द्वारा उक्त स्टॉक की कमी पूर्ति नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त गेहूँ का गबन किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बकाया रिकवरी जमा कराने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा बकाया रिकवरी जमा नही करवायी गई। इस कारण श्री राजमल गुर्जर आ. दुर्गालाल गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र सं. 1167/2018 को निरस्त किया जाकर जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/– को समपहृत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

यहां यह उल्लेखनीय है कि उचित मूल्य दुकानदार श्री राजमल गुर्जर आ. दुर्गालाल गुर्जर ग्राम पंचायत चतरगंज–III (पॉस कोड 31176) की उचित मूल्य दुकान में अनियमितताओं के संबंध में विभागीय कार्यवाही में पाये गये तथ्यों पर अपीलांट की स्वीकारोक्ति है। जिससे उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है। इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के प्रावधानों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करना पाया गया है। जिस कारण उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं अपीलांट की जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने बाबत जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा प्रदान किये गये अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गयी।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रकरण में जांच करवाई गई तथा जांच रिपोर्ट के संबंध में अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट की ओर से पेश किये गये नोटिस के जवाब में उचित मूल्य दुकान पर 1800 कि.ग्रा. गेहू का स्टॉक लापता पाये जाने के तथ्य पर अपीलांट की स्वीकारोक्ति है। इस न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे अपीलाधीन आदेश में वर्णित तथ्यों को असत्य प्रमाणित किया जा सके। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में वर्णित तथ्य बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाणित पाये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उचित मूल्य दुकानदार विभागीय निर्देशों एवं नियमों को मद्देनजर रखते हुये विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2024 पारित किया गया है, जो न्यायोचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी